फर्द अहकाम

प्रमुदयाल बनाम ग्राम पंचायत खण्डेल वगैरह

निगरानी संख्या 5/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही विवरण	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13-07-2023	निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 राज. पंचायत रुल्स जनरल 1961 रुल्स 266 विरुद्ध भानचन्द भाटी पुत्र अलादीन को जारी पट्टा द्वारा ग्राम पंचायत खण्डेल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर पेश की है। निगरानी में दिनांक 29.12.1974 को भानचन्द भाटी पुत्र अलादीन के पक्ष में निःशुल्क 150 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया, जो फर्जी तरीके से कूटरचित बनाया हुआ है। जिसमें कोई मिसल नम्बर नहीं है, ना ही कोई रिकॉर्ड दर्ज है, ना ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई एवं ना ही कोई कार्यवाही रजिस्टर में इंद्राज है। पट्टाधारक भानचन्द भाटी चिकित्सा विभाग में राजकीय कर्मचारी था, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क पट्टा जारी किया गया, जो विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। दिनांक 25.09.2020 को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 लगायत 4 द्वारा निगरानीकार के मकान के सामने आने–जाने के रास्ते एवं सार्वजनिक चौक पर तारबंदी करने पर निगरानीकर्ता ने उक्त पट्टे की जानकारी मिलने के उपरान्त सिविल न्यायालय में दावा पेश किया गया, जिसकी प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। पत्रावली प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सारिस्ता हुयी। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। निगरानीकर्ता को निगरानी प्रस्तुतीकरण पर ही एक पक्षीय सुना गया। विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 29.12.1974 को ग्राम जैतपुरा में भानचन्द भाटी को विवदित पट्टा निःशुल्क जारी किया है जबकि गैरनिगरानीकार का पिता राजकीय सेवा में था। उक्त भूमि पर निगरानीकार का पुख्ता मकान बना हुआ है तथा वह वर्षों से निवास कर रहा है। पट्टे का कोई रिकार्ड नहीं है, ना ही जारीकर्ता के हस्ताक्षर हैं एवं पट्टे में साईट प्लान मैच नहीं कर रहा है। वर्तमान में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने का कथन किया। प्रश्नगत पट्टा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एवं आर्बीट्रेरी एण्ड कॉन्ट्रेरी टू लॉ होने के कारण खारिज योग्य है। अतः उक्त पट्टे को खारिज फरमाया जावे। हमने निगरानीकार द्वारा पेश प्रकरण को प्रस्तुतीकरण/दर्ज स्तर पर ही सुनकर और दस्तावेजों का अवलोकन कर ये पाया कि निगरानीकार द्वारा आक्षेपाधीन पट्टा जो दिनांक 29.12.1974 को जारी किया गया है, की निगरानी लगभग 49 वर्ष बाद में विलम्ब से पेश करने का कोई ठोस एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए प्रस्तुत निगरानी मियाद बाहर स्पष्ट होती है। साथ ही निगरानीकार द्वारा अपनी निगरानी में और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मियाद अधिनियम में देरी का कारण अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानीकार का प्रार्थना पत्र बाबत मियाद अधिनियम सुसंगत पुष्ट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त निगरानीकार द्वारा विवादित पट्टे पर अपना कब्जा होना बताया है किन्तु कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निगरानी प्रस्तुतीकरण के स्तर पर ही मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर	